

02/11/20

श्रीलज्ज क - 16/



माडल डिस्ट्रिक्ट वार एसोसिएशन-श्रावस्ती

मुख्यालय: भिनागा

पंजीवन संख्या: 43-2006-2007

महामंत्री

अवधेश कुमार 'एडवोकेट'

मो-9454307845

अध्यक्ष

दिनेश कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'

मो-9415571850

- चौधरी सुभाष
- दीनेश कुमार वर्मा 'एडवोकेट' मो- 9711810000
- सुभाष चण्डी
- सुरजपत
- अशोक कुमार मिश्र 'एडवोकेट' मो- 8207810001
- सुरजपत
- श्रीम लखन मिश्र 'एडवोकेट' मो- 9150210434
- जुलकाश
- दीनेश कुमार सिंघाणी 'एड. अ' मो- 8652311254
- सुभाष चण्डी
- राजीव कुमार 'एडवोकेट' मो- 9415192325
- लखन प्रसाद सिंघाणी 'एडवोकेट' मो- 6294419717
- सुरजपत
- अशोक सिंघाणी 'एडवोकेट' मो- 9670353376
- अशोक कुमार वर्मा 'एडवोकेट' मो- 9196607897
- सुरजपत
- रवि कुमार पाठक 'एडवोकेट' मो- 9005187694
- सुरजपत
- अशोक कुमार 'एडवोकेट' मो- 9415491361
- सुरजपत पाठक 'एडवोकेट' मो- 9161413375
- सुरजपत मिश्र 'एडवोकेट' मो- 9450747649
- सुरजपत 'एडवोकेट' मो- 9369127530
- विजय कुमार पाठक 'एडवोकेट' मो- 9961834001
- सुरजपत 'एडवोकेट' मो- 9115491386
- सुरजपत
- अशोक कुमार मिश्र 'एडवोकेट' मो- 9452400087
- सुरजपत चण्डी 'एडवोकेट' मो- 8175851386
- विजय कुमार पाठक 'एडवोकेट' मो- 921156344
- अशोक कुमार शुक्ल 'एडवोकेट' मो- 9916047732
- सुरजपत 'एडवोकेट' मो- 9668732119
- सुरजपत 'एडवोकेट' मो- 9436927379
- सुरजपत
- सुरजपत 'एडवोकेट' मो- 780993041
- दीनेश कुमार सिंघाणी 'एडवोकेट' मो- 9450600000

पत्रांक 4177 दिनांक 17.11.2019

श्रीमान प्रशासनिक न्यायगृह महोदय जनपद श्रावस्ती

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

विषय-जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा विधिविरुद्ध एवं अनियमित रूप से किये जा रहे न्यायिक कार्य एवं अपने व्यक्तिविशेष को लागू पट्ट्याने के उद्देश्य से जमानत प्रार्थनापत्र में विधिविरुद्ध आदेश पारित करने में रोके जाने हेतु एवं जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के न्यायिक कार्य पर रोक लगाये जाने एवं जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जनपद श्रावस्ती में नियुक्ति से लेकर अब तक समस्त जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेशों व अपील/रिवीजन में पारित आदेशों की तथा उनके कारगुजारी एवं कार्यव्यवहार की सतर्कता आयोग द्वारा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि वर्तमान समय में जनपद श्रावस्ती में नियुक्त जनपद न्यायाधीश के पद पर श्री मृदुलेश कुमार सिंह जब से आये हैं तब से इनका कार्यव्यवहार एवं आचरण अधिवक्ताओं के प्रति ठीक नहीं रहा है। जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के विरुद्ध कई बार अधिवक्ताओं द्वारा मौखिक तथा लिखित रूप से दिनांक 22.11.2019 को संघ को अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में नियुक्त जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती की न्यायिक प्रक्रिया एवं कदाचार से जनपद श्रावस्ती के अधिवक्तागण काफी दुःख हैं। जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न्यायालय पर मुकदमों की सुनवायी का कोई समय निश्चिंत नहीं है तथा देर शाम तक वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को परेशान करने की नीयत से बैठायें रखा जाता है तथा लम्बी प्रतीक्षा के बाद अंततोगत्वा तारीख बिना सुनवायी के दे दी जाती है। उपरोक्त कारणों से अधिवक्तागण दुःख हैं इस परिप्रेक्ष्य में 69 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्यावेदन संघ कार्यालय में दिया गया है जिस पर कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 23.11.2019 को बुलाई गयी जिस पर कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्यों द्वारा राय व्यक्त की गयी कि प्रश्नगत प्रकरण 69 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है तथा प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है इसलिए इस प्रत्यावेदन को सामान्य सभा की बैठक में विचार हेतु रखा